

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- कृष्ण गोपाल जोजन
दायर दिनांक: 12/12/2019

प्रकरण सं० 183/2019

उनवान

1. चेतन कुमार नागर आयु 25 वर्ष पुत्र देवकिशन
2. किरण आयु 32 वर्ष पुत्री देवकिशन
3. तृप्ती नागर आयु 28 वर्ष पुत्री देवकिशन
4. ज्योती नागर आयु 24 वर्ष पुत्री देवकिशन जातियान धाकड निवासीगण हानिहेडा तह० अटरू जिला बारा (राज०)

वादीगण

बनाम

1. देवकिशन आयु 58 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति धाकड निवासी हानिहेडा तह० अटरू जिला बारा (राज०)
2. राजस्थान सरकार जर्गे तहसीलदार साहब अटरू जिला बारा (राज०)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :-

वादीगण:- विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

प्रतिवादी:- विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

आदेश

दिनांक :23/12/2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल हानिहेडा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 71 का ख० न० 288 का रकबा 1.25 है० ख० न० 289 का रकबा 1.17 है० ख० न० 311 का रकबा 0.68 है० ख० न० 608 का रकबा 3.13 है० की कुल कित्ता 4 का रकबा 6.23 है० प्रतिवादीगण के खाते दर्ज चली आ रहा है। व वाके ग्राम एवं माल हानिहेडा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 129 का ख० न० 72 का रकबा 3.38 है० की कुल कित्ता 1 का रकबा 3.38 है० मे प्रतिवादी क्रम 1 के आराजी शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमे प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 5/32 दर्ज खाता है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077, ग्राम पंचायत का वारिस प्रमाण पत्र , वाद पत्र के साथ संलग्न हैं जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद० 1 मे वर्णित आराजी पैतृक सम्पति है। जो वादीगण के दादाजी छीतरलाल के खाते दर्ज थी उक्त आराजी प्रतिवादी क्रम 1 को पिता छीतरलाल से प्राप्त हुई थी तथा वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 की सन्ताने है। जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद न० 1 मे वर्णित आराजी को वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 अपने अपने हिस्से को कब्जा

काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी मे वादीगण व प्रतिवादीक्रम 1 का हिस्सा ग्राम एवं माल हानिहेडा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 71 का ख0 न0 288 का रकबा 1.25 है0 ख0 न0 289 का रकबा 1.17 है0 ख0 न0 311 का रकबा 0.68 है0 ख0 न0 608 का रकबा 3.13 है0 की कुल किता 4 का रकबा 6.23 है0 हिस्सा 1/5,1/5 बनता है व वाके ग्राम एवं माल हानिहेडा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 129 का ख0 न0 72 का रकबा 3.38 है0 की कुल किता 1 का रकबा 3.38 है0 1/32,1/32 बनता है। जिसमे वादीगण का जन्म से ही अधिकार बनता है। मद न0 1 मे वर्णित आराजी मे से वादीगण ने अपने हिस्से की आराजी हिस्सा को अलग से अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन प्रतिवादी क्रम 1 से किया तो प्रतिवादी क्रम 1 ने वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे अलग से नाम दर्ज करवाने से साफ मना कर दिया तथा वादीगण ने दिनांक 05.10.2019 को प्रतिवादीक्रम 1 से फिर निवेदन किया कि हमारे हिस्से की आराजी को हमारे खाते राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे दर्ज करवाया जावें।परन्तु प्रतिवादीक्रम 1 ने फिर साफ मना कर दिया जबकि वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे दर्ज नही होने से वादीगण को कई समस्याओ का सामना करना पड रहा है। वादीगण कै0 सी0 सी0 नही बनवा सकते तथा अन्य सरकारी योजनाओ का लाभ भी नही ले सकते जिससे वादीगण को बहुत नुकसान उठाना पड रहा है। जबकि वादीगण का वाद पत्र की मद0 न0 1 मे वर्णित आराजी मे जन्म से अधिकार बनता है। जिसे प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादीक्रम 1 द्वारा किये जा रहे अवेधानिक एवं गैर कानुनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही है। वादीगण वाद पत्र की मद न0 1 मे वर्णित आराजी मे से अपने हिस्से की आराजी को राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। वाद कारण प्रथमबार वादीगण द्वारा प्रतिवादीक्रम 1 से अपने हिस्से की आराजी को अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन करने पर तथा प्रतिवादी द्वारा मना करने पर व अन्तिम बार दिनांक 05.11.2019 को दोबारा साफ मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र मे उत्पन्न हुआ। उक्त आराजी पर रहन का नोट हमारे हिस्से की आराजी पर दर्ज कर दिया जावें। जिसमे हमे कोई आपति नही है। विवादग्रस्त आराजी ग्राम व माल हानिहेडा तहसील अटरू जिला बारां मे स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को इस वाद मे आवश्यक पक्षकार प्रतिवादीक्रम 2 बनाया है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं।

अतः माननीय न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीक्रम 1 सादिर फरमाई जावें।

- (अ) वाद पत्र की मद न0 1 मे वर्णित आराजी मे वादीगण तथा प्रतिवादीक्रम 1 के मुताबिक हिस्सा खाता संख्या 71 का ख0 न0 288 का रकबा 1.25 है0 ख0 न0 289 का रकबा 1.17 है0 ख0 न0 311 का रकबा 0.68 है0 ख0 न0 608 का रकबा 3.13 है0 की कुल किता 4 का रकबा 6.23 है0 हिस्सा 1/5, 1/5 का व खाता संख्या 129 का ख0 न0 72 का रकबा 3.38 है0 की कुल किता 1 का रकबा 3.38 है0 में हिस्सा 1/32, 1/32 का राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे नाम दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावें।
- (ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई, प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से श्री चन्दालाल नागर एड0 द्वारा वकालत नामा पेश किया गया वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा उपस्थित होकर आपसी सहमति से राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि विवादित आराजी ग्राम व माल हानीहेड़ा तहसील अटरू की खाता संख्या 71 का ख0 न0 288 की 1.25 है0 ख0 न0 284 की 1.17 है0 ख0 न0 311 की 0.68 है0 ख0 न0 608 की 3.13 है0 कुल किता 4 का रकबा 6.23 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज चली आ रही है। जो प्रतिवादी क्रम 1 की पैत्रक सम्पत्ति है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/5, 1/5 बनता है। वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य आपसी समझाईस से राजीनामा हो गया है। जो निम्न प्रकार है।

ग्राम व माल हानीहेड़ा तहसील अटरू की खाता संख्या 129 की ख0 न0 72 की 3.38 है0 आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 5/32 बनता है। जिसको प्रतिवादी क्रम 1 के खाते में रहेगी।

खाता संख्या 71 की ख0 न0 311 की 0.68 है0 आराजी में वादी क्रम 2 किरण 3 तृप्ति नागर 4 ज्योति नागर को हिस्सा 3/5 का व वादी क्रम 1 चेतन कुमार नागर व प्रतिवादी क्रम 1 देवकिशन को हिस्सा 1/5, 1/5 का खातेदार कृषक घोषित किया जावे। खाता संख्या 71 की ख0 न0 288 की 1.25 है0 ख0 न0 289 की 1.17 है0 ख0 न0 608 की 3.13 है0 पर वादी क्रम 1 चेतन कुमार नागर को हिस्सा 4/5 व प्रतिवादी क्रम 1 देवकिशन को हिस्सा 1/5 का खातेदार कृषक घोषित किया जावें। ग्राम व माल हानीहेड़ा तहसील अटरू की खाता संख्या 71 की ख0 न0 311 की

0.68 है0 आराजी में से अपने हिस्से 3/5 का हकत्याग वादी क्रम 2 किरण 3 तृप्ति नागर 4 ज्योति नागर ने अपने सगे भाई वादी क्रम 1 चेतन कुमार नागर के पक्ष में बिना प्रतिफल लिए ही कर दिया है। ग्राम व माल हानिहेड़ा तहसील अटरू की खाता सं0 71 की कुल किता 4 की 6.23 है0 आराजी में वादी क्रम 1 चेतन कुमार नागर हिस्सा 4/5 व प्रतिवादी क्रम 1 देवकिशन को हिस्सा 1/5 का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर हिस्सा राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज किया जावे।

अतः श्रीमान की सेवा में राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य हुए राजीनामों को तस्दीक किये जाने की कृपा करें।

उभय पक्षकारान को सुना तथा राजीनामा पढकर सुनाया गया, सही होना स्वीकार किया गया, वादीगण की पहचान श्री महावीर नागर एड0 द्वारा तथा प्रतिवादी क्रम 1 की पहचान श्री चन्दा लाल नागर एडवोकेट द्वारा की गई, राजीनामा बाद तस्दीक शा0फा0 किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, विवादित आराजी ग्राम मेरमातालाब की खाता संख्या 71 की कुल किता 4 की 6.23 है0 सम्पूर्ण प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज है। उक्त आराजी पैत्रिक सम्पत्ति है। जिसमें वादीगण का जन्म से अधिकार बनता है। अतः न्यायहित में आपसी सहमति से वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेश:—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। राजीनामानुसार विवादित आराजी ग्राम एवं माल हानिहेड़ा की खाता संख्या 71 की कुल किता 4 की 6.23 है0 में वादी क्रम 1 लगायत 4 का हिस्सा 1/5—1/5 व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/5 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। खाता संख्या 71 में से वादी क्रम 2, 3, व 4 द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/5—1/5—1/5 वादी क्रम 1 चेतन कुमार के पक्ष में हकत्याग कर दिया गया।

अतः ग्राम हानीहेड़ा की खाता संख्या 71 किता 6.23 में वादी क्रम 1 को 4/5 व प्रतिवादी क्रम 1 को 1/5 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू हकत्याग स्टाम्प शुल्क जमा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें, रहन का नोट प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज किया जावें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्दाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्ण गोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 183/2019

उनवान

1. चेतन कुमार नागर आयु 25 वर्ष पुत्र देवकिशन
2. किरण आयु 32 वर्ष पुत्री देवकिशन
3. तृप्ती नागर आयु 28 वर्ष पुत्री देवकिशन
4. ज्योती नागर आयु 24 वर्ष पुत्री देवकिशन जातियान धाकड निवासीगण हानिहेडा तह0 अटरू जिला बारा (राज0।
वादीगण

बनाम

1. देवकिशन आयु 58 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति धाकड निवासी हानिहेडा तह0 अटरू जिला बारां।
2. राजस्थान सरकार जर्गे तहसीलदार साहब अटरू जिला बारा (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनईX..... रुबरू.....X.....

बहाजिर :-

वादीगण:- विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

प्रतिवादी:- विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

मिनजानित मुदई रुबरूX.....

मिनजाबिन मुदालयह हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। राजीनामानुसार विवादित आराजी ग्राम एवं माल हानिहेडा की खाता संख्या 71 की कुल किता 4 की 6.23 है0 में वादी कम 1 लगायत 4 का हिस्सा 1/5-1/5 व प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/5 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। खाता संख्या 71 में से वादी कम 2, 3, व 4 द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/5-1/5-1/5 वादी कम 1 चेतन कुमार के पक्ष में हकत्याग कर दिया गया।

अतः ग्राम हानिहेडा की खाता संख्या 71 किता 6.23 में वादी कम 1 को 4/5 व प्रतिवादी कम 1 को 1/5 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू हकत्याग स्टाम्प शुल्क जमा करवाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करें, रहन का नोट प्रतिवादी कम 1 के खाते दर्ज किया जावें।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारहX.....

..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करुंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 15.04.2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

